

**जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण,  
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर, राजनांदगांव**

:: आदेश ::

कमांक / <sup>८०६३</sup> / पंचा. / यू.क.रा.सा. / 2011-12

राजनांदगांव, दिनांक २७ / 02 / 2012

संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा, दाउ कल्याण सिंह भवन, महानदी खण्ड, मंत्रालय, रायपुर के पत्र कमांक / पंचा. / विविध / 2011 / 1500 रायपुर, दिनांक 07.10.2011 के निर्देशानुसार यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय सपोर्ट सेंटर राजनांदगांव हेतु को-आर्डिनेटर के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवारों की संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	सपोर्ट सेंटर प्रभार के जिले का नाम
1.	कृ. प्रेरणा खेडपाण्डे	श्री हेमन्त खेडपाण्डे	81 साईकाशी, आनंद विहार कालोनी, ममता नगर, गली नं. 5, राजनांदगांव	राजनांदगांव
2.	श्री विनोद कुमार बुधिचा	श्री लच्छू कुमार बुधिचा	राम टाकीज के पीछे, वार्ड नं. 10, गुजराती पारा, महासमुन्द	कबीरधाम
3.	कृ. सुमन मिश्रा	श्री प्रेम कुमार मिश्रा	सी/ओ श्री रोष नारायण पाण्डे, एयरटेल टावर के पास, कृष्णा विहार कालोनी के पीछे, बलौदा बाजार, जिला रायपुर	दुर्ग

नियम एवं शर्तें :-

- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
- संविदा नियुक्ति दिनांक 28.02.2013 तक के लिए होगी।
- नियुक्ति अवधि की तिथि समाप्ति के साथ नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है एवं नियुक्ति योजना संचालन तक के लिए होगी। यदि शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं तथा कार्य संतोषप्रद पाये जाता है तो उक्त पद पर पुनः संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।
- संविदा पर 16000.00 रु. (प्रथम वर्ष) एकजाई प्रतिमाह पारिश्रमिक की पात्रता होगी।
- आपकी पदस्थापना जिला स्तर पर होगी किन्तु आपको जिला/खण्ड/पंचायत स्तर पर भी कार्य करना होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा नियुक्ति कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुर्ननियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
- यह नियुक्ति छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक/एफ-9-1/2004/1/3 दिनांक 28.07.2004 द्वारा जारी छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
- संविदा अविधि में 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

(अमरचंद ठाकुर)

उप-संचालक,

पंचायत एवं समाज कल्याण,

जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

01. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, छ.ग.शासन, रायपुर।
02. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, दाउ कल्याण सिंह भवन, महानदी खण्ड, मंत्रालय, रायपुर।
03. कलेक्टर, जिला राजनांदगांव/कबीरधाम/दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव/कबीरधाम/दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
05. श्री आर.पी.पटेल, सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी, पंचायत एवं समाज सेवा, संचालनालय, छ.ग.रायपुर।
06. उप-संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला कबीरधाम/दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया संबंधित का स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण-पत्र देने का कष्ट करें।
08. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।
09. संबंधित उम्मीदवार। आप कृपया दिनांक 07/03/2012 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण-पत्रों, अंकसूचियों तथा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण, संयुक्त जिला कार्यालय परिसर, राजनांदगांव में उपस्थिति दें। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

(अमरचंद ठाकुर)  
उप-संचालक,

पंचायत एवं समाज कल्याण,  
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)